ग्वालियर की महिला की कर्नाटक में संदिग्ध मौत

पति चुपचाप ग्वालियर ले आया शव, मायके पक्ष ने रुकवाया अंतिम संस्कार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मार्च. ग्वालियर जिले की महिला की कर्नाटक के यादगिरी जिले में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पत्नी की मौत की सूचना यादगिरी पुलिस को दिए बिना ही पति शव को 1400 किमी दूर ग्वालियर ले आया जहां अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी।इस दौरान मायका पक्ष पहुंच गया और हंगामा हो गया। परिजन ने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। मामला बिजौली थाना क्षेत्र के सुपावली गांव का है।

जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम सीमा बाथम है, जो सुपावली गांव की रहने वाली थी। वह अपने पति मेघसिंह बाथम के साथ कर्नाटक के यादगिरी जिले के रामसुंदर गांव में साथ में रहती थी। पति वहां ठेला लगाता था।

मृतक के भाई राकेश बाथम ने बताया कि जब शव को मुक्तिधाम ले जाया जा रहा था, तभी मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अंतिम संस्कार पर आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर बिजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। हंगामे के बीच मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकवा दी। शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।

भाई ने कहा- बहन की हत्या की गई- मृतका के भाई ने बताया कि जीजा ने उन्हें बहन की मौत की जानकारी दी, लेकिन कर्नाटक के यादगिरी पुलिस को सूचना नहीं दी गई। न ही वहां कोई कानूनी प्रक्रिया कराई गई। उन्होंने बताया कि बहन को प्रताड़ित किया जाता था और उसकी मौत सामान्य नहीं है। उनकी बहन की हत्या की गई है।

बिजौली थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के कारण स्पष्ट हो सकें। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर केस डायरी कर्नाटक पुलिस को भेज दी है।

घंटों रही बिजली गुल जनता परेशान

ग्वालियर. शहर में मैंन्टेनेंस के नाम पर होने वाली कटौती का क्रम जारी है और ग्वालियर क्षेत्र के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी की शुरूआत में ही बिजली की आंख-मिचौली ने आमजन का जीना दूभर कर दिया है। कभी किसी क्षेत्र में तो कभी किसी क्षेत्र में बिजली कटौती कर उपभोक्ताओं को परेशान करना बिजली विभाग की पुरानी आदत है। कटौती के कारण दोपहर 12 बजे से महाराजा कॉम्पलेक्स, कोठारी कॉम्पलेक्स, भगत सिंह नगर सहित 60 क्षेत्रों में चार घंटे के लिए बिजली चली गई जिसके कारण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर संभाग पूर्व के कुंज विहार, डीडी नगर ए और बी सेक्टर, महाराजा काम्प्लेक्स, कोठारी, न्यू बीएसएफ और गालव पार्क फीडर पर दोपहर 1 से शाम चार बजे तक बिजली गुल रही।

भोला सिकरवार की हत्या में शामिल 10 हजार का इनामी दबोचा

आरोपी पुस्सू उर्फ पुष्पेंद्र को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मार्च. फरियादी हेमू उर्फ हेमंत सिकरवार निवासी लाइन नंबर-2 बिरलानगर हजीरा द्वारा रिपोर्ट लेख कराई थी कि 2 जून 2025 को रात्रि को मेरे छोटे भाई भोला उर्फ हेमराज सिकरवार को बंटी उर्फ अजय भदौरिया ने पेट में गोली मारी थी एवं भाई के दोस्त पवन उर्फ कल्लू नाई और मैरे व मेरे भाइयों के ऊपर शिवा राजावत, रानू राजावत, श्याम सिंह भदौरिया, लाला करिया, पुष्पेन्द्र उर्फ पुस्सू भदौरिया ने जान से मारने की नियत से 10-12 राउण्ड फायर किये थे, जिसमें इलाज के दौरान मेरे भाई भोला उर्फ हेमराज को गोली लगने से मौत हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट थाना हजीरा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

एवं अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक(पूर्व) श्रीमती विदिता डागर को थाना हजीरा पुलिस की टीम बनाकर प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हजीरा जितेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में थाना बल की टीम को इस प्रकरण में फरार चल रहे शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाया गया। पुलिस टीम को तकनीकी सहायता के आधार पर जानकारी मिली कि इस प्रकरण का एक फरार इनामी आरोपी पुस्सू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह भदौरिया, आगरा के थाना अछनेरा में फरारी काट रहा है। सूचना पर थाना हजीरा पुलिस की टीम को थाना अछनेरा जिला आगरा(उ प्र) भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त इनामी आरोपी की तलाश की गई, इसी दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी थाना अछनेरा जिला आगरा में स्थित रायभा रेलवे स्टेशन से कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस टीम रायभा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और वहां से आरोपी पुस्सू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह भदौरिया को धरदबोचा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता पुस्सू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र गोपेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी काशी नरेश की गली ग्वालियर का होना बताया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। थाना हजीरा पुलिस की टीम इनामी आरोपी को लेकर ग्वालियर आई और उसे थाना हजीरा के अपराध प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये इनामी आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियार व उसके फरार अन्य साथियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। पकड़े गये आरोपी के खिलाफ पूर्व से 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो कि थाना ग्वालियर में 07, थाना हजीरा व थाना पड़ाव में 03-03, थाना क्राईम ब्रांच में 02 हैं। जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मारपीट आदि के दर्ज हैं।

आरोपी को पकड़ने में इनकी रही अहम भूमिका

थाना प्रभारी हजीरा निरी0 जितेन्द्र सिंह तोमर, उप निरी. रजनी रघुवंशी(प्रभारी साइबर सेल ग्वालियर), आर. ध्रुव सिंह गुर्जर, आर. राजू मोगिया, आर. प्रमोद शर्मा, आर. अखिलेश छारी, साइबर सेल से आर. अशीष शर्मा, आर. अजय यादव की सराहनीय भूमिका रही।

ये शेर हैं अंधेरों से लड़ते जहीर के : राजेंद्र गुप्ता

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मार्च. 'जहीर कुरेशी जीवन को बारीकी से देखनेवाले गजलकार हैं।मैं अभिनेता हूँ जो कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं मैं उनका पाठ करता हूँ।जहीर कुरेशी की ग़ज़लें मुझे अच्छी लगती हैं। वे लिखते हैं 'किस्से नहीं हैं यह किसी विरहन की पीर के,ये शेर हैं अंधेरों से लड़ते जहीर के'। यह पंक्तियां एक शायर की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं'।

यह विचार प्रख्यात अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने जहीर कुरेशी स्मृति व्याख्यानमाला 5 में व्यक्त किए।वे आयोजन के मुख्य अतिथि थे।

अध्यक्षता शिक्षा विद ओबैद आजम आजमी ने की। प्रख्यात शायर नवाब आरजू ने कहा, 'शायर कभी मरता नहीं है,वह दिलों में जिंदा रहता है।जहीर कुरेशी हमारे दिलों में हैं'। फिल्मकार संदीप नाथ ने कहा, 'उनसे जो संस्कार मिले वे मेरे जीवन में बहुत काम आए।

आयोजन के प्रयोजन पर बोलते कथाकार,पत्रकार हरीश पाठक ने कहा, 'मेरे जीवन के कठोर दिनों में वे दिशा निर्देशक की तरह रहे।वे मेरे जीवन का कोमल कोना हैं।उन्हें भूलना मेरे लिए नामुमकिन है।

'कथा', 'दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन' व 'जलधारा' के इस संयुक्त आयोजन का संचालन विवेक अग्रवाल,स्वागत भाषण दीनदयाल मुरारका वी आभार श्रीमती कमलेश पाठक ने दिया।

इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में 31 शोध पत्र प्रस्तुत

ग्वालियर 28 मार्च. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में आयोजित चौथी इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड करंट टेक्निकल रिसर्च-2026 के द्वितीय दिवस पर विभिन्न तकनीकी सत्रों में कुल 31 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। दो दिवसीय इस सम्मेलन में कुल 8 तकनीकी सत्र आयोजित हुए, जिनमें दूसरे दिन 5 सत्र ऑनलाइन माध्यम से संचालित हुए। प्रस्तुत शोध पत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्मार्ट सिस्टम, पर्यावरण एवं सस्टेनेबल तकनीक, तथा उन्नत इंजीनियरिंग डिजाइन एवं सिमुलेशन जैसे समकालीन विषयों पर महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में कुल 51 शोध पत्र स्वीकृत हुए। यह आयोजन शोध, नवाचार एवं वैश्विक स्तर पर ज्ञान के आदान-प्रदान का एक प्रभावी मंच साबित हुआ।

नल का बिल जमा न करने पर काटे कनेक्शन

ग्वालियर। नगर निगमद्वारा जलकर वसूली के लिए अभियान चलाकर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिसमें आज वार्ड 50 में नल के बिल जमा न करने पर उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटे गए। कार्यपालन यंत्री संजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशन में निगम के अमले द्वारा लगातार जलकर वसूली के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

संपत्तिकर जमा नही करने पर कर दी तालाबंदी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मार्च. ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत वार्ड 63 में आयुक्त के आदेशानुसार अपर आयुक्त के निर्देशन एवं उपायुक्त रजनीश गुप्ता के नेतृत्व मे आरआई महेश पाराशर ने टीसी वार्ड 63 मनीष पाराशर, प्रशांत पाण्डेय सहायक टीसी सोनू राजपूत के साथ होटल शिव पर संपत्तिकर जमा नही करने पर संपत्ति को ताला बंदी की कार्यवाही की। तालाबंदी की कार्यवाही के दौरान भवन स्वामी द्वारा तकाल मौके पर ही 1,32,036 राशि का चेक प्रदान किया गया।सील किया रेस्टोरेंट : सम्पतिकर का टारगेट हासिल करने के लिए महज 3 दिन शेष बचे है. ग्रामीण विधानसभा में उपायुक्त रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में यातायात नगर में टीम ने कार्यवाही कर जटाशंकर होटल एवं रेस्टोरेंट सील कर दिया। 1,10,000 रु बकाया होने पर इन्हें सील किया गया। पिछले 5 वर्ष से सम्पत्ति कर जमा नहीं किया था। कार्यवाही के दौरान उपायुक्त रजनीश गुप्ता, आर आई महेश पाराशर, टीसी सतेन्द्र सिंह, सहायक अमित अरोरा, विजय शर्मा, प्रशांत पांडे मौजूद रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **नीरज मित्तल (NEERAJ MITTAL)** पुत्र **श्री प्रेम नारायण मित्तल** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम **बानी मित्तल (BANI MITTAL)** है। जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम **वानी मित्तल (VANI MITTAL)** इंग्लिश एवं हिन्दी में गलती से लिख गया है जो कि गलत है। वर्तमान एवं भविष्य मे मेरी पुत्री को **बानी मित्तल (BANI MITTAL)** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। **बानी मित्तल (BANI MITTAL)** एवं **वानी मित्तल (VANI MITTAL)** दोनों मेरी ही पुत्री के नाम हैं अतः मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम **वानी मित्तल (VANI MITTAL)** के स्थान पर **बानी मित्तल (BANI MITTAL)** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

सूचनाकर्ता
पता नीरज मित्तल पुत्र श्री प्रेम नारायण मित्तल वॉर्ड 05 संतर न. 01, सबलगढ, मुरैना, म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **छाया धनोतिया (CHHAYA DHANOTIYA)** पत्नि **श्री आश्रय धनोतिया** सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **सरला मुजावदिया (SARLA MUJAWDIYA)** था जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं **छाया धनोतिया** पत्नि **श्री आश्रय धनोतिया** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं एवं जाऊंगी। जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **छाया धनोतिया** एवं **सरला मुजावदिया** दोनों मेरे ही नाम है अतः मेरी 10 वी व 12 वी की अंकसूची में मेरा नाम **सरला मुजावदिया** के स्थान पर **छाया धनोतिया** पढ़ा एवं जाना जावे। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम **छाया धनोतिया** पत्नि **श्री आश्रय धनोतिया** से ही जाना पहचाना जाए आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

सूचनाकर्ता
पूर्व नाम-सरला मुजावदिया
वर्तमान नाम-छाया धनोतिया
पत्नी श्री आश्रय धनोतिया
पता :- 24-ए अन्नपूर्णा नगर, पोस्ट सुदामा नगर, इंदौर म.प्र.452009

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **अनूप कुमारी शर्मा (ANUP KUMARI SHARMA)** पत्नी श्री **रवेन्द्र शर्मा** सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम अनूप कुमारी शर्मा है। जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलति से **अनुपमा शर्मा (ANUPAMA SHARMA)** लिख गया है जो कि गलत है। वर्तमान एवं भविष्य मे मैं **अनूप कुमारी शर्मा** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाउंगी। जो मेरे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। **अनुपमा शर्मा** एवं **अनूप कुमारी शर्मा** दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनुपमा शर्मा के स्थान पर अनूप कुमारी शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

प्रार्थी
पूर्व नाम-अनुपमा शर्मा
वर्तमान नाम-पता अनूप कुमारी शर्मा पत्नी श्री रवेन्द्र शर्मा बाबडीपुरा, टेंटरा, सबलगढ़, मुरैना म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **रामा देवी (RAMA DEVI)** पत्नी **श्री भूपसिंह बघेल** सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम **रामा देवी** है जबकि मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम **सनेही बघेल (SANEHI BAGHEL)** लिख गया हैं जो कि गलत हैं वर्तमान एंव भविष्य में **रामा देवी** के नाम से ही जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाउंगी। जो मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। **रामा देवी** और **सनेही बघेल** दोनों मेरे ही नाम है। आधार कार्ड में मेरा नाम **श्रीमती सनेही बघेल** के स्थान पर **श्रीमती रामा देवी** लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

सूचनाकर्ता
पुराना नाम-सनेही बघेल
नया नाम-रामा देवी पत्नी श्री भूपसिंह बघेल पता - 00, ग्राम साजीपुरा, जलालगढ़, पोस्ट जलालगढ़, सबलगढ़, मुरैना, मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **राजकुमार गंगवाल (RAJKUMAR GANGWAL)** पुत्र **स्व.श्रीसुशील कुमार गंगवाल** सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का घर का नाम **प्रिशा गंगवाल (PRISHA GANGWAL)** है। जबकि वर्तमान में वह **मोक्षा गंगवाल (MOKSHA GANGWAL)** पुत्री **राजकुमार गंगवाल (RAJKUMAR GANGWAL)** के नाम से जानी पहचानी एवम् पुकारी जाती है और भविष्य में भी मेरी पुत्री **मोक्षा गंगवाल (MOKSHA GANGWAL)** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाएगी। उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में भी **प्रिशा गंगवाल (PRISHA GANGWAL)** लिखा गया है। अतः राजपत्र सूचना प्रकाशन के पश्चात मेरी पुत्री का नाम वर्तमान एवं भविष्य में भी **मोक्षा गंगवाल (MOKSHA GANGWAL)** से जानी पहचानी एवं पुकारी जाएगी एवं पूर्व में लिखे **प्रिशा गंगवाल (PRISHA GANGWAL)** नाम के शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में भी उसका नाम **मोक्षा गंगवाल (MOKSHA GANGWAL)** लिखा एवं पढ़ा जाए आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

सूचनाकर्ता
पुराना नाम- प्रिशा गंगवाल
(PRISHA GANGWAL)
नया नाम- मोक्षा गंगवाल पुत्री राजकुमार गंगवाल
निवासी :-223, व्यंकटेश नगर बिजासन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश

CHANGE OF NAME

I, INDU Wife of No. 14680349W NK JITENDRA KUMAR
Presently residing at Vill- Ramdih Paraiya, Post- Paraiya, Teh- Tekari, Dist- Gaya ,State - Bihar, Pin- 824209
have changed my name from **INDU** to **INDU KUMARI**
Vide Affidavit No. BX 978159 & Date- 27.03.2026, before District Court Gwalior

CHANGE OF DOB

I, Army Service No. 15800913P Rank- HAV (CIK SD), Name- **MANESH** Residing at Akehri Madanpur (200) Jhajjar, Akheri Madanpur, Haryana Pin-124146 have changed my Mother **MANBHAWATI** Date of Birth from **10/12/1970** to **01/01/1965** due to mismatch in my Army Service Record.

Vide Affidavit No. BX 198648 Dated 17/03/2026 before High Court, Gwalior M.P.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 17, वार्ड क्रं 38, स्थान नवग्रह कॉलोनी लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि बाबूलाल/मिट्ठनलाल नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000141477 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी21आईजीआर17402026ए10025 9856 दिनांक 06.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्र 17, पर दिनांक 25.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58726/58918 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
सविता कुशवाह/विजेन्द्र कुशवाह
पता-नवग्रह कॉलोनी लश्कर ग्वा0 (म.प्र.), मो0-8516091321
विज्ञप्ति जारी दिनांक-28.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 02, वार्ड क्रं 09, स्थान मैदाई मौहल्ला ग्वा0 मे स्थित है जो कि महेशचन्द्र/स्व. कामता प्रसाद नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000321637 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 706 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र /मृत्युउपरान्त/ उत्तराधिकार/वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला क्षे.क्र 02, पर दिनांक 26.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं61/2010/58145/58354 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
गायत्री गुप्ता/महेशचन्द्र गुप्ता
पता-मैदाई मौहल्ला ग्वा0 (म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-28.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65, स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि कान्ता कशवाह/अशोक सिंह कुशवाह नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1004387634 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 670 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602021ए11089717 दिनांक 23.12.2021 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर, क्षे.क्र 24, पर दिनांक 28.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
विनीता मेहरा/सोनू मेहरा,सोनू मेहरा/बलकार सिंह मेहरा
पता-अजयपुर ग्वा0 (म.प्र.),मो0-6267183940
विज्ञप्ति जारी दिनांक-28.03.2026

आम सूचना (नाम परिवर्तन हेतु)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा **IFMIS Software** पेनकार्ड तथा आधारकार्ड में नाम **बालेन्दु सेन** अंकित है तथा मेरी सेवापुस्तिका में मेरा नाम वनमाली सविता अंकित है, जबकि मेरा वास्तवित नाम **बालेन्दु सेन** है जो मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में अंकित है इस कारण मैं अपना नाम वनमाली सविता के स्थान पर **बालेन्दु सेन** कराना चाहता हूं। अतः सर्वसाधारण सूचित हो।

दिनांक : 28.03.2026 **भवदीय**
बालेन्दु सेन पुत्र श्री मिठाईलाल
निवासी महलगांव, ग्वालियर

इनरव्हील क्लब ग्वालियर ने आत्म ज्योति दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में कूलर और खाद्य सामग्री भेंट की

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मार्च. समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ ग्वालियर द्वारा आज एक सराहनीय पहल की गई क्लब की सदस्यों ने शहर के आत्म ज्योति दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में पहुंचकर वहां रह रही बालिकाओं की सुविधा के लिए राहत सामग्री का वितरण किया भीषण गर्मी को देखते हुए क्लब की ओर से विद्यालय को दो बड़े कूलर भेंट किए गए ताकि छात्रों को गर्मी से राहत मिल सके इसके साथ ही बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए उन्हें ताजा फल स्नेक्स और जूस वितरित किए गए. इस अवसर पर क्लब की सदस्यों ने कहा कि इन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारा उद्देश्य है और भविष्य में भी इस तरह के सेवा कार्य जारी रहेंगे विद्यालय प्रबंधन ने क्लब के इस उदास सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष अर्चना पारख सचिव दीपाली पारख, पीडीसी अलका गुप्ता, ड्रुस्ह सीमा गुप्ता, कोषाध्यक्ष रेणुका श्रीवास्तव, पी पी कल्पना मेहता, रेखा दीपक जैन, अर्चना सांखला आदि सदस्य उपस्थित रहे

भारतीय जैन मिलन का 39 वां क्षेत्रीय अधिवेशन शुरू

ग्वालियर 28 मार्च. भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक दो के आतिथ्य में दो दिवसीय 39 वें क्षेत्रीय अधिवेशन समारोह का शुभारंभ आज शनिवार को जैन छात्रावास में हुआ। अधिवेशन में संस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता थीं। विशिष्ट अतिथि वैश्य सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद गोयल अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स भोपाल, ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, जैन मिलन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन महेंद्र जैन, राष्ट्रीय संरक्षक बालचंद्र जैन, प्रवीण गंगवाल, कार्यक्रम की समन्वयक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शीला जैन टोंग्या, राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष राजेश जैन बंटी थे। महामंत्र णमोकार मंत्र के चित्र का अनावरण सिंघई विमल पूजा जैन एवं दीप प्रज्वलित चक्रेश सीमा जैन ने किया। संगीतकार शुभम जैन के भजन हुए। स्वागत उद्बोधन राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष राजेश जैन बंटी ओर अधिवेशन की जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष महेंद्र जैन ने दी। आभार क्षेत्रीय मंत्री कमलेश जैन ने माना। अधिवेशन में अतिथियों ने क्षेत्रीय क्रमांक-दो के पदाधिकारियों को अवार्ड से सम्मानित किया।

संबध विच्छेद आम सूचना

सर्व साधारण आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मान सिंह राठौर पुत्र बाबूलाल राठौर निवासी भैरों बाबा मंदिर के पास जहांगीर कटरा किलागेट गिर्द ग्वालियर अपने परिवार सहित उक्त पते पर निवास करता है। मेरे पक्षकार की पुत्री प्रिया (नैंसी) राठौर आयु 20 वर्ष का एक ज्ञात युवक के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गया है, जिसकी संगत एवं व्यवहार उचित नहीं है। उक्त युवक आपराधिक प्रवृत्ति का होकर आदतन अपराधी है उक्त युवक के प्रभाव में आकर मेरे पक्षकार की पुत्री का आचरण अत्यंत अनुचित एवं असामाजिक हो गया है। वह घर से बिना अनुमति जाने, घर से वस्तुएं/राशि चोरी करने, तथा घर से भाग जाने की धमकी देने जैसे कृत्य कर रही है। जब मेरे पक्षकार द्वारा अपनी पुत्री को समझाने एवं सुधारने का प्रयास किया जाता है, तब वह मेरे पक्षकार एवं उनके परिवारजनों को झूठे प्रकरण में फँसाने तथा जान से मारने/आत्महत्या करने की धमकी देती है। वह स्वयं को बालिग बताते हुए अपने कृत्यों पर अड़ी हुई है तथा अपने उक्त प्रेम संबंध के कारण परिवार के साथ रहना नहीं चाहती है।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण मेरे पक्षकार अत्यंत मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से परेशान हैं। अतः विवश होकर मेरे पक्षकार द्वारा अपनी पुत्री प्रिया (नैंसी)राठौर के साथ आज दिनांक से समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करते हुए पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध विच्छेद किए जाते हैं।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक के पश्चात कोई भी व्यक्ति मेरी पक्षकार की पुत्री से किसी भी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार न करें न ही अपने घर में पनाह दे। यदि भविष्य में उसके द्वारा कोई भी अवैध, आपराधिक या अन्य प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसी की स्वयं की होगी, मेरे पक्षकार अथवा उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रार्थी - मान सिंह राठौर पुत्र बाबूलाल राठौर निवासी भैरों बाबा मंदिर के पास जहांगीर कटरा किलागेट गिर्द ग्वालियर (म.प्र.)
प्रेषक- मोहित कटारे (अधिवक्ता)
पता- घासमंडी किलागेट ग्वालियर (म.प्र.)
मोबाइल-8358095295

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 960 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 69/2 राजस्व ग्राम छोंदा भाग होकर ग्राम छोंदा, तहसील मुरैना नगर, जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में - गीता देवी का मकान, पश्चिम में-अन्य की भूमि, उत्तर में-अन्य का प्लॉट, दक्षिण में-आम रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री शेरू कुशवाह पुत्र श्री कालीचरण कुशवाह निवासी 32, तुलसी कॉलोनी, गणेशपुरा, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री मान सिंह यादव पुत्र श्री सूबालाल यादव निवासी ग्राम शिकारपुर, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार पिरामल फाइनेन्स लिमिटेड ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सर्वे संख्यांक की सम्पत्ति को अनुबंधकर्ता अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से आवेदक के पक्ष में उक्त सम्पत्ति का विक्रय अनुबंध-पत्र का निष्पादित किया गया। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्?नुसार सूचित हो।

दिनांक : 28-03-2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रातः 11.00 से सायं 05.00 तक

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशा सविता पत्नी श्री विकास सविता ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लॉट क्र. 35, कृष्णा कुंज कॉलोनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, ग्राम मुडियाखेडा तहसील मुरैना नगर एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के सर्वे क्र. 1184 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लॉट क्र. 20, पश्चिम में- रास्ता 25 फुट, उत्तर में- प्लॉट क्र. 34, दक्षिण में- प्लॉट क्र. 35 का भाग व कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमान मातादीन पुत्र श्री रामदयाल के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान मातादीन, परिमल, गबदाराम तथा मुन्ना पुत्रगण श्री रामदयाल व अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों मे विधिवत दर्ज है। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान मातादीन पुत्र श्री रामदयाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 28.03.2026

प्रेषक-विशाल अग्रवाल (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पक्षकार रामाधार सिंह भदौरिया पुत्र स्व. श्री कृष्ण सिंह भदौरिया, निवासी-ग्राम सैंथरी, जिला भिण्ड (म.प्र.) का निवासी है। मेरे पक्षकार के द्वारा एक प्लॉट अपनी मां श्रीमती मुन्नी देवी भदौरिया पत्नी कृष्ण सिंह भदौरिया, निवासी-ग्राम सैंथरी, जिला भिण्ड के नाम से दिनांक 20/10/2004 को विक्रेता रामदास पुत्र बनवारी लाल पाल, निवासी- संजय नगर, बिरला नगर, ग्वालियर से जर्ये नोटरी विक्रय-पत्र सम्पादित कराया गया था, जिसके विक्रय धन मेरे पक्षकार द्वारा 3,00,000/- रुपये स्वयं नगदी अदा किया गया था, जिसका प्लॉट साइज 30 गुणा 40=1200 वर्गफुट है, जो सर्वे नम्बर 414 मिल पटवारी हल्का 39, मौजा गोसपुरा, संजय नगर में स्थित है, जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में-रेल्वे क्वाटर, पश्चिम में-20 फुट रोड, उत्तर में-चौहान का मकान, दक्षिण में-मुन्नी देवी राजावत का मकान है। उक्त दिनांक को मेरा पक्षकार भारतीय सेना में होकर अपनी नौकरी पर था, जिस पर उसके द्वारा अपनी मां के नाम विक्रय-पत्र सम्पादित कराया गया था, जिसे भविष्य में अपने नाम नोटरी कराकर नगर निगम में इन्द्राज कराने के आश्वासन पर मेरा पक्षकार रामाधार सिंह भदौरिया के नाम कराया जाना था। मार्च 2026 के प्रथम सप्ताह में मेरे पक्षकार को परिवार एवं परिचितों से जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे पक्षकार की मां उक्त भवन को किसी भी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक करने के प्रयास में है, उपरोक्त भवन आज दिनांक तक नगर निगम में पूर्व विक्रेता के नाम से ही इन्द्राज है। अतः सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि, यदि मेरे पक्षकार की मां श्रीमती मुन्नी देवी के साथ उपरोक्त उक्त भवन के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करें, अन्यथा ऐसे किये गये संव्यवहार मेरे पक्षकार के हितों के विरुद्ध प्रारम्भतः शून्य व प्रभावहीन होने के साथ ही उपरोक्त व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध आपराधिक विधि के अधीन अपराध पंजीबद्ध कराया जावेगा, अतः सूचित हों। दिनांक : 28/03/2026

प्रेषक : रामाधार सिंह भदौरिया
द्वारा अभिभाषक :
युवराज सिंह भदौरिया
सीमा तोमर एडवोकेट्स
कार्या. सैनिक कॉलोनी, पिन्टो पार्क, जिला ग्वालियर
मोबा : 9826265608, 8839535621

आम सूचना संबंध विच्छेद

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार राजवीर सिंह कुशवाह पुत्र श्री शंकर सिंह कुशवाह निवासी सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे, गिरवाई नाका, ए. बी. रोड़ लश्कर, ग्वालियर की पुत्री कु. कांक्षी ने मेरे पक्षकार की इच्छा के विरूद्ध वीरेन्द्र सिंह रावत नाम के लड़के से प्रेम विवाह कर लिया है और मेरे पक्षकार की पुत्री कु. कांक्षी माह जुलाई 2025 से मेरे पक्षकार के घर से वीरेन्द्र सिंह रावत नाम के लड़के के साथ चली गई है और मेरे पक्षकार की पुत्री कु. कांक्षी ने वीरेन्द्र सिंह रावत के साथ प्रेम विवाह कर लिया है और मेरे पक्षकार की पुत्री द्वारा उक्त लड़के से प्रेम विवाह कर लेने के कारण मेरे पक्षकार एवं उसके परिवार की समाज में काफी मानहानि हुई है एवं मेरे पक्षकार की पुत्री द्वारा प्रेम विवाह कर लेने के कारण मेरे पक्षकार एवं उसकी पत्नी श्रीमती पार्वती कुशवाह को काफी मानसिक कलेश पहुंचा है, इस कारण मेरा पक्षकार एवं मेरे पक्षकार का सम्पूर्ण परिवार कु. कांक्षी से इस सूचना आम के माध्यम से हर प्रकार के समस्त संबंध विच्छेद करता है और आज दिनांक से कु. कांक्षी का मेरे पक्षकार की किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा और यदि मेरे पक्षकार की पुत्री कु. कांक्षी के साथ उसके ससुरालजन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घटना की जाती है तो उसके लिये मेरे पक्षकार एवं मेरे पक्षकार के परिवारजनों की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं सर्वसाधारण को भी यह सूचित किया जाता है कि यदि मेरे पक्षकार की पुत्री कु. कांक्षी किसी भी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था से मेरे पक्षकार के नाम का प्रयोग करके किसी भी प्रकार का कोई कर्जा या ऋण लेती है तो उसके लिये मेरे पक्षकार एवं मेरे पक्षकार के परिवार की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इति दिनांक 28.03.2026

भवदीयः एच.ओ. अग्रवाल (LL.B.)
लवीराज अग्रवाल (LL.M.) एडवोकेट्स
हरि कुटिया, लोहामण्डी, ग्वालियर, मो. 9893304349, 9926663402

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती इन्द्रा राठौर पत्नी श्री रविनवास सिंह ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट मानपुर गिर्द जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 285, 287, 293, 294, 299, 291, 296, 304/मिन-2 का भाग 594 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 05 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता राकेश राठौर पुत्र स्व. श्री बाबूलाल राठौर एवं सहभागीदार श्रीमती प्रेमवती राठौर पत्नी स्व. श्री बाबूलाल, मुरारी राठौर, राजू राठौर पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. 221 ग्रन्थ न. 25326 तारीखी 12.03.2014 में हरीसिंह पुत्र श्री छोटे सिंह व सहमति ओमप्रकाश पुत्र श्री छोटे सिंह के द्वारा सम्पादित की गई। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है :- पूर्व में - नाला, पश्चिम में -रोड, उत्तर में - प्लॉट का भाग, दक्षिण में - प्लॉट क्र. 06 तोमर जिसका कुल क्षेत्रफल 594 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के विक्रेता राकेश राठौर पुत्र स्व. श्री बाबूलाल राठौर के द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट मेरी पक्षकारा श्रीमती इन्द्रा राठौर पत्नी श्री रविनवास सिंह को विक्रित कियेजाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम,शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेतागण के सहभागीदार श्रीमती प्रेमवती राठौर पत्नि स्व. श्री बाबूलाल, मुरारी राठौर, राजू राठौर पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल के द्वारा कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और श्रीमती इन्द्रा राठौर पत्नी श्री रविनवास सिंह अचल संपत्ति प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 594 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आई. सी. आई. सी. आई. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक-28..03.2026
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार, ग्वालियर
मो. 9300981954